उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2
संख्या-17/2023/935/94-स्टा0नि0-2-2023-700(36)/2023
लखनऊ: दिनांक- 25 जुलाई, 2023

अधिसूचना

आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश **औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2022 और सरकारी अधिसूचना संख्या–2445/77-6-2023-2(एम)/2022टीसी दिनांक 07-07-2023** के अधीन नई इकाईयों की स्थापना हेतु, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची-1(ख) के अनुच्छेद-23 के खण्ड–(क) के अधीन अन्तरण की लिखत और अनुच्छेद-35 के अधीन पट्टा की लिखत पर अधिसूचना संख्या-3/2023/345/94-स्टा०नि०-2-2023-700(36)/2023 दिनांक 31-03-2023 के स्तम्भ-04 के अनुसार स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करती हैं। इस अधिसूचना में दी गई छूट का उपबंध उक्त अधिसूचना दिनांक 31-03-2023 के क्रियान्वयन होने के दिनांक से प्रभावी होगा तथा उक्त अधिसूचना और शासनादेश के अन्य उपबंधों/ शर्तों के साथ लागू होगा।

आज्ञा से,
लीना जौहरी
प्रमुख सचिव।

संख्या: 17/2023/935/94-स्टा0नि0-2-2023-700(36)/2023, दिनांक: 25 जुलाई, 2023

हिंदी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक 25 जुलाई, 2023 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड(ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात् गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0 लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

रवीश गुप्ता
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या: 17/2023/935/94-स्टा0नि0-2-2023-700(36)/2023, दिनांक: 25 जुलाई, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- स्टॉफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त।
4- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
5- अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रो0 विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन, उ0प्र0 कानपुर।
7- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
8- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
9- महानिरीक्षक निबंधन, उ0प्र0।
10-समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
11-समस्त अपर जिलाधिकारी, (वि0/रा0) पदेन जिला निबंधक, उ0प्र0।
12-समस्त संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त उद्योग, उ0प्र0।
13-समस्त उप महानिरीक्षक निबंधन, उ0प्र0।
14-समस्त सहायक महानिरीक्षक निबंधन/जनपदीय उपायुक्त उद्योग, उ0प्र0।
15-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कुलदीप सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

UTTAR PRADESH SHASAN

STAMP EVAM REGISTRATION ANUBHAG-2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 17/2023/935/94-S.R.-2-2023-700(36)2023 dated 25 July, 2023

Notification

Order

No. 17/2023/935/94-S.R.-2-2023-700(36)2023

Lucknow , dated 25 July, 2023

In exercise of the powers under clause (a) of sub section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended, from time to time, in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor, from the date of publication of this Notification in the Gazette, is pleased to remit the Stamp Duty, for establishing new unit under the **UP Industrial Investment & Employment Promotion Policy 2022 and Government Notification no.-2445/77-6-2023-2(M)/2022TC dated 07-07-2023** in accordance with the Column 4 of notification no. 3/2023/345/94-Sta.Ni.-2-2023-700(36)/2023 dated 31-03-2023 on the instrument of transfer under Clause-(a) of Article-23 and instrument of lease under Article-35 of Schedule-1(b) of Indian Stamp Act , 1899. The provision of exemption given in this notification will be effective from the date of implementation of the said notification dated 31-03-2023 and will be applicable with other provisions / conditions of the said notification and Government Order.

By order,

Leena Johri

Principal Secretary.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।